न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी नागौर
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 199 / 18

वादी
1–कानाराम पुत्र प्रतापराम जाति खाती
निवासी लीलीयां तहसील रियांबड़ी

बनाम

प्रतिवादीगणः–
1–पप्पूराम पुत्र कानाराम जाति खाती
निवासी लीलीयां
2–जीवणराम पुत्र भीकाराम जाति जाट
निवासी लीलीयां तहसील रियांबड़ी
3– तहसील रियांबड़ी
4–पटवारी हलका लीलीयां

दावा बाबत बंटवाड़ा,घोषणा खातेदारी अंतर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट 1955

निर्णय

दिनांक :– 06.06.2018

वादी की ओर निम्न वाद प्रस्तुत है :–

1–यह है कि ग्राम लीलीयां की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 414 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नंबर 415 रकबा 0.80 हैक्टर,खसरा नंबर 416 रकबा 1.60 हैक्टर कुल रकबा 3.30 हैक्टर में सें 1/2 भाग में सें 2/5 भाग वादी का व कुल आरजी में सें 1/10 भाग प्रतिवादीगण संख्या 1 की खातेदारी का आया हुआ है। व शेष 1/2 भाग प्रतिवादीगण संख्या 2 की खातेदारी की आया हुआ है। जो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की सह खातेदारी की भूमि है। नकल खतौनी साथ में पेश है।

2–यह है कि पैरा नंबर 2 में वर्णित आराजी को आगे वाद में मतनाजा आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

3–यह है कि वादी व प्रतिवादीगण के बीच मौके पर बंटवाड़ा किया हुआ है व अलग अलग धोरे व पालिया दी हुई है। व इसी माफिक काश्त व काबिज चले आ रहे है। परंतु खातेदारी में नाम माफिक बंट के नहीं होने से वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पडत्र रहा है। इसलिए वादी यह बंटवारा व घोषणा का वाद पेश कर रहा है।

4–यह है कि मुतनाजा आराजी का बंटवारा पक्षकारान ने कर लिया है इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण ने जो बंटवारा किया जो निम्न प्रकार से है।

वादी कानाराम के बंट में :–
मौजा लीलीयां के खसरा नंबर 414 रकबा 0.80 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नंबर 415 रकबा 0.80 हैक्टर में सें 0.48 हैक्टर दक्षिणी तरफ का बंट में रखा गया है।

प्रतिवादी संख्या 1 पप्पूराम के बंट में–
मौजा लीलीयां के खसरा नंबर 415 रकबा 0.80 हैक्टर में सें 0.32 हैक्टर उत्तरी तरफ का बंट में रखा गया है।

प्रतिवादी संख्या 2 जीवणराम के बंट में–

अध्यक्ष
राजस्व लोक अदालत
कैम्प ...लीलीयां...

मौजा लीलीयां के खसरा नंबर 416 रकबा 1.60 हैक्टर सम्पूर्ण बंट में रखा गया है।

उपरोक्त बताये अनुसार बंटवाड़ा कायम कर अलग अलग खातेदारी घोषित की जावें।

5—यह है कि उपरोक्त बताये माफिक पक्षकारान अपने अपने बंट की भूमि पर काश्त व काबिज है तथा मौके पर अलग अलग सीवें माठे कायम कर ली है। वादी व प्रतिवादीगण का नाम खातेदारी में माफिक बंट केनहीं होने से वादी को भारी परेशानियां हो रही है।

6—यह है कि उपरोक्त खसरान का बंटवारा जुबानी रूप से पक्षकारान ने कर लिया है। मगर कानूनी रूप से बंटवाड़ा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस नहीं हुआ है। जिससे वादी वादग्रस्त खसरान का बंटवाड़ा बाई मिट्स बाउण्डस करवाने हेतू यह बंटवाड़ा का वाद पेश कर रहा है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता के उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा पढकर सुनाया गया सुन समझ सही होना स्वीकार किया गया। बाद पहचान राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील पक्षकारान ने राजीनामा के अनुसार वाद को निर्णित किये जाने का निवेदन किया गया। वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर मौजूद राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की सह खातेदारी की है। जिसका आपसी सहमति से मौके अनुसार बंटवारा विधिवत करवाना चाहते है। सहमति से पक्षकार करना चाहते है तो किया जाना विधिसम्मत है।

अतः वादी का वाद जरिये राजीनामा के स्वीकार किया जाता है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बीच निम्न प्रकार बंटवारा किया जाकर खातेदारी घोषित की जाती है।

1—वादी कानाराम के बंट में :—

मौजा लीलीयां के खसरा नंबर 414 रकबा 0.80 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नंबर 415 रकबा 0.80 हैक्टर में सें 0.48 हैक्टर दक्षिणी तरफ का बंट में रखा गया है।

2—प्रतिवादी संख्या 1 पप्पूराम के बंट में—

मौजा लीलीयां के खसरा नंबर 415 रकबा 0.80 हैक्टर में सें 0.32 हैक्टर उतरी तरफ का बंट में रखा गया है।

3—प्रतिवादी संख्या 2 जीवणराम के बंट में—

मौजा लीलीयां के खसरा नंबर 416 रकबा 1.60 हैक्टर सम्पूर्ण बंट में रखा गया है।

तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्तानुसार बंटवारा किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अलग अलग खातेदारी दर्ज की जावें। इसी आशय का डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

नोटः— जीवणराम के बंट में रहन यथावत रखते हुए डिकी की पालना की जावें। व बकाया में रहन होतो रहन यथावत रखें।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी (नागौर)
राजस्व लोक अदालत
कैम्प— बाडीघाटी

निर्णय दिनांक 06.06.2018को राजस्व लोक अदालत कैम्प बाडीघाटी में सुनाया गया ।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी (नागौर)
राजस्व लोक अदालत
कैम्प—बाडीघाटी

Scanned by CamScanner